प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 06 मई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सन्तराम निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-19.09.2019) दिनांक 03.12.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सन्तराम जो मंगरूवा मजरा-वरियाडीह, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 07.08.1996 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, तमंचे व लाठी से मुस्तकीम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1228/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष सं0-1), सीतापुर के आदेश दिनांक 02.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2007 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.08.2019 तक 15 वर्ष 04 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 07.08.1996 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, तमंचे व लाठी से मुस्तकीम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सन्तराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश (बन्दी संख्या-39588) पुत्र श्री सन्तराम जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-145/2020/3034(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-145/2020/3034/22-2-2019-17(1165)/2019

दिनांक 06 मई, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सन्तराम जो मंगरूवा मजरा-वरियाडीह, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 07.08.1996 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, तमंचे व लाठी से मुस्तकीम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1228/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष सं0-1), सीतापुर के आदेश दिनांक 02.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2007 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.08.2019 तक 15 वर्ष 04 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 07.08.1996 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, तमंचे व लाठी से मुस्तकीम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सन्तराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in